06/06/24

अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। पेशी का जरिये आवाज लगवाई गई अधिवक्ता प्रार्थी अथवा प्रार्थी जरिये उपस्थित नहीं हुए।

पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन किया। प्रार्थिया ग्राम सुवावा पंचायत पालका तहसील [illegible] के खाता संख्या 159 में अंकित नाम चौथीबाई के बजाय प्रेमबाई अंकित किए जाने हेतु धारा 136 LR Act के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

धारा 136 LR Act के तहत गत सेटलमेन्ट के मुकाबले नवीन रिकार्ड में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे शुद्ध किए जाने के प्रावधान है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण नाम परिवर्तन किए जाने बाबत है। जिससे प्रकरण धारा 136 LR Act के तहत पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नकल से कायम हो।

(मीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)